कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 331 / वाद सं0 एल–0142 / एस–05 / 2025 दिनांक: 27/4/ 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री संजीव शर्मा / नवीन डोबरियाल आदि, निवासी किद्दूवाला, बांगाखाला, तुनवाला रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के लगभग 07–08 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग हेतु भू–खण्डों चिन्हीकरण का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम–2009, की सुसंगत धाराओं 27(1) व 28(1) के अन्तर्गत कारण बताओ एंव स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं0 एल–0142 / एस–05 / 2025 योजित किया गया था। जिसमें सम्यक सुनवाई उपरान्त कार्यालय पत्रांक 5244 दिनांक 31.03.26 को प्रश्नगत अनाधिकृत प्लॉटिंग को 15 दिन के अन्तर्गत स्वयं ध्वस्तीकरण कार्यवाही को सम्पादित करते हुए इस कार्यालय में अवगत कराने हेतु आदेश पारित किये गये थे किन्तु विपक्षी द्वारा आतिथि तक अनाधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त नही किया गया है। उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग को दिनांक 06-05-26 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपिः–1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205 / विविध–जेए / 2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

2. थानाध्यक्ष रायपुर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ताअ / अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स) / समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को सीलिंग से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहा0 अभि0 / अव0अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. विपक्षी श्री संजीव शर्मा / नवीन डोबरियाल आदि, निवासी किद्दूवाला, बांगाखाला, तुनवाला रोड, देहरादून को इस आशय के साथ कि उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा लें। शेष नियम व शर्ते पूर्व प्रेषित आदेश पत्रांक 2925 दिनांक 03.10.2025 की शर्त यथावत रहेगी।

संजय उपाध्याय

संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c